

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर(राज.)

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 27/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
GCMS NO. : 2024/27

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री दुर्गाशंकर नागदा पिता श्री बंशीलाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स नागदा जनरल स्टोर, बाईपास चौराहा प्रतापनगर, उदयपुर। स्थाई पता 20, ब्राह्मणों का रोबा, माल की दूस तह. वल्लभनगर उदयपुर मो. 9784193019
2. श्री हर्षित बापना पिता श्री मीठालाल महाजन मैसर्स बापना इण्डस्ट्रीज ग्राम रठाना तह. मावली, उदयपुर मो. 9784467620 ईमेल harshitb91@gmail.com

—विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. स्वयं विपक्षीगण।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011



●निर्णय●

दिनांक 28.06.2024

विवरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./गुप-3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 28.12.2023 को 1.58 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स नागदा जनरल स्टोर, बाईपास चौराहा प्रतापनगर, उदयपुर पर पहुँचा, वहाँ विपक्षी श्री दुर्गाशंकर नागदा उपस्थित पाये गये, जिन्होंने स्वयं को मैसर्स नागदा जनरल स्टोर, बाईपास चौराहा प्रतापनगर, उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)



निरीक्षण के समय विक्रेता के दुकान पर मातेश्वरी भोग का गेहू का आटा के 8 किलो पैकेट बेग के करीब 10 बेग जिस पर B.N व M.F.D. अंकित नहीं था व Use By Before 20 days अंकित पाया गया। इसमें सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ मिसब्राण्ड की शंका होने से 5 किलो के बेग को खुलवाकर गेहू का आटा मे से 2 किलोग्राम आटा नमूना जांच हेतु नियमानुसार स्टील की खाली भगोनी में क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा आटा की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 60रु. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 2 किलोग्राम गेहू का आटा को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक की 4 साफ, सूखे व खाली जारो मे बराबर मात्रा मे भरकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक जार पर नियमानुसार लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं नमूना को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए-2547 का एक-एक भाग प्रत्येक नमूनो पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/660 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/1041/एक्ट/2023/1041 दिनांक 08.01.2024 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना गेहू का आटा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पायी गई क्योंकि Alcoholic Acidity (with 90% Alcohol) expressed as H₂SO₄(on dry weight basis) 0.18% max. होना चाहिए था, कि जगह 0.23% पाया गया एवं Gluten (on dry weight basis) 6.0% होना चाहिए था, कि जगह 5.18% पाया गया । अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/659 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)



अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक मु.चि.अ./एफ.एस.एस.ए./2024/2507 दिनांक 06.05.2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/ क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका टर्नओवर 12 लाख रुपये वार्षिक से कम है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकार कर प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण पर विक्रेता के दुकान पर मातेश्वरी भोग का गेहू का आटा के 5 किलो पैकेट बेग के करीब 10 बेग जिस पर B.N व M.F.D. अंकित नहीं था व Use By Before 20 days अंकित पाया गया। इसमें सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ मिसब्राण्ड की शंका होने से 5 किलो के बेग को खुलवाकर गेहू का आटा में से 2 किलोग्राम आटा नमूना जांच हेतु नियमानुसार स्टील की खाली भगोनी में क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार नमूना गेहू का आटा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पाया गया, क्योंकि **Alcoholic Acidity (with 90% Alcohol) expressed as H₂SO₄(on dry weight basis)0.18% max.** होना चाहिए था, कि जगह **0.23%** पाया गया एवं **Gluten (on dry weight basis) 6.0%** होना चाहिए था, कि जगह **5.18%** पाया गया।

मामले में यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड के मामलों में अधिकतम राशि 5,00,000/- शास्ति का प्रावधान अंकित है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके विपक्षी आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपीगण को संयुक्त रूप से कुल राशि ₹ 1,00,000/-रु अक्षरे एक लाख रूपया मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर